Unique Identification Authority of India
Government of India
सत्यमेव जयते

AADHAAR
Mera Aadhaar, Meri Pehchaan

प्रपत्र 3: आधार नामांकन और अद्यतीकरण
(क) निवासी भारतीय बालक/बालिका, या (ख) भारत में पते के सबूत वाले अनिवासी भारतीय बालक/बालिका (5 वर्ष और उससे अधिक और 18 वर्ष से कम आयु) के लिए

कृपया इस प्रपत्र के नीचे दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करें और केवल बड़े (ब्लॉक या कैपिटल) अक्षरों का प्रयोग करें।

1 प्रयोजन : ☐ नामांकन या ☐ अद्यतन

2 निवास की स्थिति : ☐ भारतीय निवासी या ☐ अनिवासी भारतीय *(एनआरआई) {इस प्रपत्र के नीचे दिये घोषणा के पैरा 1(ग) को देखें}*

3 जनसांख्यिकीय सूचना *(अद्यतीकरण के लिए केवल अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना ही भरें) :*

(क) नाम :
{कृपया नाम को किसी शीर्षक, सम्मान शब्द और अन्य नाम (एलिअस) के बिना, पीओआई दस्तावेज में दिए गए अनुसार भरें}

(ख) लिंग : ☐ महिला ☐ पुरुष ☐ तृतीय लिंग / परलैंगिक *(ट्रांसजेंडर)*

(ग) जन्म तिथि : ☐☐☐☐☐☐☐☐ (DDMMYYYY) या **आयु :** ☐☐☐ वर्ष
☐ सत्यापित या ☐ घोषित या ☐ अनुमानित *(केवल आयु के लिए)*
(घोषित या अनुमानित के लिए, आधार कार्ड पर केवल घोषित/अनुमानित जन्म का वर्ष मुद्रित किया जाएगा)

(घ) ईमेल :

(ङ) मोबाइल नंबर : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

4 नामांकन/अद्यतीकरण का आधार : ☐ दस्तावेज सत्यापन या ☐ परिवार के मुखिया *(एचओएफ)* द्वारा पुष्टि

5 दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :
(पते की सूचना केवल नामांकन या पते के अद्यतीकरण के मामले में भरी जानी चाहिए)

(क) पता : द्वारा *(ऐच्छिक)* :

मकान नं. / भवन / अपार्टमेंट :		सड़क/रोड/लेन:
भूमि-चिन्ह *(लैंडमार्क)* :	वार्ड नंबर :	क्षेत्र / इलाका / सेक्टर :
गांव/नगर/शहर :	डाकघर *(अनिवार्य)* :	पिन कोड *(अनिवार्य)* : ☐☐☐☐☐☐
उप-जिला :	जिला :	राज्य :

(ख) प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार :
(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)

(i) पहचान का सबूत *(पीओआई) :*
(ii) पते का सबूत *(पीओए) :*
(iii) जन्म तिथि का सबूत *(पीडीबी) (ऐच्छिक)* :

6 *एचओएफ*-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :

(क) *एचओएफ* के ब्यौरे : (i) नाम : आधार नंबर : ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

(ii) बालक/बालिका से संबंध : ☐ माता ☐ पिता ☐ विधिक संरक्षक

(ख) संबंध के सबूत के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज के प्रकार :
(यूआईडीएआई की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" देखें)

मैं ऊपर नामित बालक/बालिका की पहचान और वह मुझसे कथित अनुसार संबंधित है इसकी पुष्टि करता/करती हूँ। मैं एतद्द्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मेरे आधार नंबर के विरुद्ध दर्ज पते को बालक/बालिका के आधार नंबर के विरुद्ध पते के रूप में दर्ज किया जाए और मेरी बायोमेट्रिक सूचना का उपयोग मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाए।

एचओएफ के हस्ताक्षर :

7 अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :

(क) बालक/बालिका का आधार नंबर : ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

(ख) अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना : ☐ बायोमेट्रिक (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) ☐ नाम ☐ जन्म तिथि ☐ लिंग ☐ पता ☐ मोबाइल ☐ ईमेल ☐ पीओआई और पीओए दस्तावेजों का अद्यतीकरण

घोषणा

1. मैं एतद्द्वारा पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि—
   (क) प्रस्तुत की गई सभी सूचना और दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं;
   (ख) मैं और बालक/बालिका उपरोक्त दस्तावेजों/सबूतों को साक्ष्यित करने वाली सूचनाओं के हकदार हैं; और
   (ग) बालक/बालिका भारत का/की निवासी (मेरे नामांकन आवेदन के ठीक पूर्ववर्ती 12 महिनों में 182 दिनों या अधिक भारत में निवासरत) है या वह एक अनिवासी भारतीय (वैध भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक जो भारत का निवासी नहीं है) है।
2. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि उपरोक्त घोषणा गलत पाई जाती है, तो बालक/बालिका का आधार नंबर निष्क्रिय किया जा सकता है और, इसके अतिरिक्त, मेरे विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
3. मैं समझता/समझती हूँ कि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार उपरोक्त सूचना उपयोग, प्रकट या साझा की जा सकती है।
4. मैं पहचान, पते, जन्म तिथि और/या संबंध के प्रमाण साक्ष्यित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसी सूचना की तैयारी या अनुरक्षण के व्यवहारी प्राधिकारियों के डेटाबेसों से अभिप्राप्त करने और उपरोक्त सूचना या दस्तावेजों को सरकारी एजेंसियों और/या किसी ऐसे प्राधिकारी से, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, साझा करने के लिए एतद्द्वारा अपनी सहमति देता/देती हूँ।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर :	माता, पिता या विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप :

सत्यापनकर्ता का नाम :	हस्ताक्षरकर्ता का नाम :	तारीख और समय :

प्रपत्र 3 भरने के लिए अनुदेश

क्र.सं.	मद	अनुदेश	अनिवार्य या ऐच्छिक
1	प्रयोजन	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
2	निवास की स्थिति	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
3	*जनसांख्यिकीय सूचना :*		
(क)	नाम	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया शिष्टाचारसूचक शब्द (श्री, कुमारी, सुश्री, थिरु आदि), सम्मान शब्द *(ऐक्लिसिआस्टिकल* उपाधि आदि) और उपनाम (उर्फ, ए. के. ए. आदि) को छोड़ दें, भले ही दस्तावेज में यह आता हो।	अनिवार्य
(ख)	जन्म तिथि *(डीओबी)* या आयु	(1) कृपया *डीओबी* या आयु, जो लागू हो, के ब्यौरे भरें। (2) "सत्यापित", "घोषित" या "अनुमानित" में से, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ। (3) यदि जन्म तिथि का सबूत *(पीडीबी)* उपलब्ध है और प्रस्तुत किया जा रहा है तो "सत्यापित" पर सही का निशान लगाएँ। (4) यदि *पीडीबी* उपलब्ध नहीं है तो, आवेदक या तो घोषित जन्म तिथि *(डीओबी)* या अनुमानित आयु दे सकता/सकती है, जिस स्थिति में केवल जन्म का वर्ष आधार कार्ड पर मुद्रित किया जाएगा।	अनिवार्य
(ग)	लिंग	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
(घ)	ईमेल	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	*एनआरआई* के लिए अनिवार्य
(ङ)	मोबाइल नंबर	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) गैर-भारतीय मोबाइल नंबर के मामले में, उस पर कोई *एसएमएस / टेक्स्ट* संदेश नहीं भेजा जाएगा।	ऐच्छिक
4	नामांकन/अद्यतीकरण का आधार	कृपया केवल एक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य
5	*दस्तावेज-आधारित नामांकन/अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :*		
(क)	पता	(1) कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) पते में "द्वारा" के ब्यौरे भरना ऐच्छिक है और इसके संबंध में कोई समर्थनकारी दस्तावेज आवश्यक नहीं है। (3) पिन कोड और डाकघर अनिवार्य हैं। (4) ग्राम/नगर/शहर, उप-जिला, जिला और राज्य को नामांकन सॉफ्टवेयर द्वारा पिन कोड के आधार पर स्वत: प्रविष्ट किया जाएगा। (5) *पीओए* दस्तावेज में दिए गए पते से भरे गए पते में मामूली बदलाव की अनुमति दी जा सकती है। (6) आधार पत्र को भारतीय डाक के माध्यम से भरे गए पते पर भेजा जाएगा। (7) यदि बालक/बालिका *एनआरआई* है और उसके पास भारत में रहने के पते के लिए *पीओए* नहीं है, तो कृपया प्रपत्र 4 का उपयोग करें।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार *यूआईडीएआई* की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा। (3) *एनआरआई* बालक/बालिका के लिए, वैध भारतीय पासपोर्ट ही एकमात्र स्वीकार्य *पीओआई* है।	अनिवार्य
6	*एचओएफ आधारित नामांकन या-पते के अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना और प्रस्तुत दस्तावेज :*		
(क)	*एचओएफ* के ब्यौरे	(1) कृपया (i) में जो लागू हो, ब्यौरे भरें। (2) कृपया (ii) में, जो लागू हो, केवल एक पर सही का निशान (✔) लगाएँ। (3) *एचओएफ*-आधारित नामांकन या जनसांख्यिकीय सूचना के अद्यतीकरण के लिए, *एचओएफ* 18 वर्ष या अधिक आयु का और बालक/बालिका का माता, पिता या विधिक संरक्षक होना चाहिए।	अनिवार्य
(ख)	प्रस्तुत संबंध का सबूत *(पीओआर)* दस्तावेज का प्रकार	(1) दस्तावेज का प्रकार *यूआईडीएआई* की वेबसाइट और नामांकन केंद्रों पर प्रदर्शित "स्वीकार्य सहायक दस्तावेजों की सूची" में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से होना चाहिए। (2) मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि बनाने और मूल के विरुद्ध सत्यापित करने के बाद वापस कर दिया जाएगा।	अनिवार्य
7	*अद्यतीकरण के लिए, अतिरिक्त सूचना :*		
(क)	बालक/बालिका का आधार नंबर	कृपया जैसा लागू हो, ब्यौरे भरें।	अनिवार्य
(ख)	अद्यतीकृत की जाने वाली सूचना	कृपया एक या अधिक, जो भी लागू हो, पर सही का निशान (✔) लगाएँ।	अनिवार्य

नामांकन केंद्र पर नामांकन और अद्यतीकरण सेवा के लिए फीस

क्र.सं.	सेवा	फीस
1.	नामांकन	नि:शुल्क
2.	बायोमेट्रिक सूचना (फोटो, अंगुलियों की छाप और आइरिसें) का अद्यतीकरण	(क) यदि 5 से 7 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क (ख) यदि 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया गया है : नि:शुल्क (ग) यदि अन्यथा किया गया है : ₹ *100*
3.	जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर या ईमेल पता) का अद्यतीकरण	(क) यदि बायोमेट्रिक सूचना के अद्यतीकरण के समय ही किया गया है : नि:शुल्क शुल्क (केवल बायोमेट्रिक अद्यतीकरण का ही शुल्क लागू) (ख) यदि सभी या किसी जनसांख्यिकीय सूचना के लिए, अलग से किया गया है : ₹ *50*
4.	*पीओआई* और *पीओए* दस्तावेजों (पते और पहचान के सबूत के साक्ष्य) का अद्यतीकरण	₹ *50*